International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD)
Volume 6 Issue 4, May-June 2022 Available Online: www.ijtsrd.com e-ISSN: 2456 – 6470

संसद की भूमिका का मूल्यांकन

Ram Kumar Gurjar

NET Qualified, Scholar (Political Science) IGNOU, New Delhi, India

सार

भारतीय संसद भारत गणराज्य का सर्वोच्च विधायी निकाय है। यह भारत के राष्ट्रपति और दो सदनों: राज्य सभा (राज्यों का सदन) और लोक सभा (लोगों का सदन) से बना एक द्विसदनीय विधानसभा है। राष्ट्रपति को विधायिका के प्रमुख के रूप में अपनी भूमिका में संसद के सदन को बुलाने और सत्रावसान करने या लोकसभा को भंग करने की पूरी शक्ति है। राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग केवल प्रधानमन्त्री और उनकी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकता है।

संसद के किसी भी सदन के लिए राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित या मनोनीत लोगों को संसद सदस्य कहा जाता है। संसद, लोक सभा के सदस्य एकल सदस्यीय जिलों में भारतीय जनता के मतदान द्वारा सीधे चुने जाते हैं और संसद सदस्य, राज्य सभा सभी राज्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधान द्वारा चुने जाते हैं। संसद में लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 245 की स्वीकृत संख्या है, जिसमें साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों की विशेषज्ञता से 12 नामांकित व्यक्ति शामिल हैं। संसद नई दिल्ली में संसद भवन में मिलती है।

लोक सभा में राष्ट्र की जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं जिनकी अधिकतम संख्या 550 है। राज्य सभा एक स्थायी सदन है जिसमें अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन / मनोनयन 6 वर्ष के लिए होता है। जिसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। वर्तमान मे लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 है तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है।

How to cite this paper: Ram Kumar Gurjar "Evaluation of the Role of Parliament" Published in International Journal of Trend in Scientific Research and Development (ijtsrd), ISSN: 2456-6470, Volume-6 | Issue-4, June 2022, pp.1738-1743, URL: www.ijtsrd.com/papers/ijtsrd50374.pdf

IJTSRD50374

Copyright © 2022 by author(s) and International Journal of Trend in Scientific Research and Development Journal. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

भारतीय संसद के कार्य: भारत में संसदीय शासन प्रणाली है. भारत की संसद देश में सर्वोच्च विधायी निकाय है. इस लेख में, आप संसद के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ सकते हैं. भारतीय संसद एक दो सदन वाली विधायिका है जिसमें दो सदन होते हैं – लोकसभा और राज्य सभा.

लोकसभा (लोक सभा) के सदस्यों को जनता द्वारा सीधे मतदान प्रक्रिया के माध्यम से चुना जाता है. राज्य सभा (राज्यों की परिषद) के सदस्य राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं. संसद में दो सदन और भारत के राष्ट्रपति होते हैं.

14 सितंबर से जारी संसद का मानसून सत्र, कोरोना वायरस महामारी के दौरान विधायिका द्वारा विचारणीय मुद्दों का द्योतक है। विधि निर्माताओं और विधायिका में काम करने वाले कर्मचारियों की स्वास्थ्य सुरक्षा को बनाए रखते हुए ये निकाय लोकतंत्र में अपनी केंद्रीय भूमिका कैसे निभाते हैं? कई राज्यों ने बहुत कम सत्र आयोजित किये हैं - कुछ सिर्फ एक दिन के लिये आयोजित हुए हैं- जिसमें उन्होंने कई अध्यादेशों को मंज़ूर किया है और शायद ही पिछले कुछ महीनों में कार्यपालिका के किन्हीं भी कार्यों पर प्रश्न उठाए गए हैं। संसद शारीरिक दूरी की पालन करेगी, शून्य काल (जिसमें सदस्य अपने निर्वाचकों एवं व्यापक जनहित के मुद्दे उठाते हैं) को रद्द कर दिया गया है और प्रश्न काल (जिसमें मंत्रियों को सदस्यों द्वारा उठाये गए प्रश्नों का उत्तर देना होता है) को भी रद्द कर दिया गया है। सरकार के पास निर्णय लेने एवं विभिन्न सार्वजनिक कार्यों को करने का जनादेश होता है। यह विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है जो इस पर सवाल उठा सकती है और एक विशेष स्थिति में, यहाँ तक कि इसे परिवर्तित भी कर सकती है। विधायिका नियमित चुनावों के माध्यम से नागरिकों के प्रति जवाबदेह होती है और यदि इसके कानून एवं नीतियाँ जनता के लिये लाभकारी नहीं समझी जाती हैं तो इसे मतदान के माध्यम से हटाया जा सकता है। अंत में, संवैधानिक न्यायालयों से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि सभी कार्य संविधान की सीमाओं के भीतर किये गए हैं और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून भी संविधानसम्मत हैं।

परिचय

एक उदाहरण ब्रिटिश संसद के कार्यों और हमारी संसद के मध्य अंतरों का वर्णन करता है। जब एक कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग एप्लिकेशन के विचार की कल्पना की गई थी, तब ब्रिटेन की मानवाधिकारों पर संयुक्त संसदीय समिति ने प्रस्तावों की जाँच की। मई की शुरुआत में प्रकाशित एक रिपोर्ट "मानवाधिकार और COVID-19 पर सरकार की प्रतिक्रिया: डिज़िटल कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग" में, इसने सिफारिश की कि एक ऐप का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब इसे सक्षम बनाने के लिये एक विशिष्ट प्राथमिक कानून हो, और ऐसा कानून यह सुनिश्चित करे कि डेटा केवल COVID-19 के प्रसार को रोकने के सीमित उद्देश्य के लिये एकत्र किया गया है, डेटा को तृतीय-पक्ष के साथ साझा करने पर रोक लगाई जाए, डेटा को केवल एक केंद्रीय डेटाबेस में तभी अपलोड किया जाए जब व्यक्ति की कोरोना जाँच पॉज़िटिव हो अथवा पॉजिटिव होने का संदेह हो और डेटा संग्रहित करने के

लिये समय सीमित किया जाए। इसका उत्तरदायित्व संभालने वाले मंत्री को प्रत्येक 21 दिनों में कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की प्रभावकारिता के साथ-साथ डेटा सुरक्षा और गोपनीयता की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इसके विपरीत, भारत ने कार्यकारी निर्णय के माध्यम से आरोग्य सेतु एप की शुरुआत की, और इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की कि क्या यह अनिवार्य है (उदाहरण के लिये, हवाई यात्रा के दौरान, या मेट्रो रेल यात्रा के दौरान)। यह सब एक विशिष्ट कानून या किसी संसदीय निरीक्षण के बिना किया गया है। वास्तव में, संसदीय निरीक्षण पिछले छह महीनों के दौरान बड़े पैमाने पर हुआ ही नहीं हैं।[1]

175 दिनों के बाद संसद की बैठक होगी, आम चुनाव के हस्तक्षेप के बिना संसदीय बैठक न होने की यह सबसे लंबी अवधि है और छह महीने की संवैधानिक सीमा से बस थोड़ी ही कम है। संसदीय समितियों की लगभग चार महीने तक बैठक नहीं हुई थी, और उसके बाद केवल व्यक्तिगत बैठकें हुईं हैं जिनमें जोखिम और यात्रा प्रतिबंध को देखते हुए कम उपस्थिति दर्ज़ हुई है। वहीँ इसके विपरीत कई अन्य देशों में अधिवेशनों एवं समितियों दोनों ने सदस्यों को घर से ही इनमें भाग लेने में सक्षम बनाने के लिये प्रौद्योगिकी को अपनाया है। इस अवधि में, 900 से अधिक केंद्रीय एवं लगभग 6,000 राज्य सरकार की अधिसूचनाएँ जारी की गई हैं जो महामारी के प्रबंधन से संबंधित हैं। यह अन्य विषयों पर सूचनाओं के अतिरिक्त है। एक कामकाजी संसद या समितियों की अनुपस्थिति का अर्थ है कि सरकारी कार्यों की कोई जाँच या मार्गदर्शन नहीं किया गया है।

जब संसद की बैठक हो तो संसद को संकट के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया को देखना चाहिये। हालाँकि, ऐसा करना एक सतत् मार्गदर्शन तंत्र के बजाय पोस्टमार्टम विश्लेषण अधिक होगा। यह "कम कीमत पर खरीदें, उच्च कीमत पर बेचें" की पुरानी स्टॉक मार्केट की सलाह की तरह है, जो कि निवेश निर्णय लेने में किसी का उचित मार्गदर्शन नहीं करती है। चीजें अनुरूप नहीं होती हैं तो किसी के पास नुकसान उठाने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं होता है।

कई नीतिगत मुद्दों में न्यायिक हस्तक्षेप से संसदीय निरीक्षण की कमी को पूर्ण किया गया है। उदाहरण के लिये, सरकार द्वारा लॉकडाउन से संबंधित कार्यों और प्रवासियों को होने वाली कठिनाइयों पर संसद द्वारा प्रश्न उठाये जाने चाहिये थे। संसदीय मंचों की चर्चाओं से सरकार को देश भर में ज़मीनी हालात पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने और सरकार को उनके अनुरूप कार्य करने में सहायता मिलती। हालाँकि, इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया गया, जो नीतिगत विकल्पों को संतुलित करने के लिये प्रथम स्थान नहीं है। हालाँकि न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाना चाहिये जो कार्यान्वयन के साथ विकासशील मुद्दों से निपटने के लिये आवश्यक कमियों को दूर करते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं जिसमें न्यायालय ने दूरसंचार कंपनियों को सरकार को बकाया चुकाने की अवधि को सीमित करने का फैसला किया है और कैबिनेट के एक फैसले को खारिज कर दिया। यह एक नीतिगत मामला है जो दूरसंचार कंपनियों, उपभोक्ताओं (जो मूल्य वृद्धि या संभावित एकाधिकार होने से प्रभावित होते हैं), और बैंकों (जो दूरसंचार कंपनियों द्वारा डिफॉल्ट का सामना कर सकते हैं) के हितों को संतुलित करता है। इस मुद्दे को सरकार द्वारा संसद के निरीक्षण के साथ सबसे अच्छी तरह से निपटाया जा सकता है। हाँ लेकिन यदि यह अवैध (या इसमें भ्रष्टाचार कहें) है, तो इस मामले को अदालतों द्वारा निपटान किया जाना चाहिये।

विचार-विमर्श

संसद को अपनी संवैधानिक रूप से अनिवार्य भूमिका को पुनः प्राप्त करना चाहिये। इसके पास 18 दिन के छोटे सत्र में चर्चा करने के लिये बड़ी संख्या में मुद्दे हैं। दोनों सदन एक ही भौतिक स्थान का उपयोग करने के लिये पालियों में काम कर रहे हैं जो किसी दिन विस्तारित बैठक के दायरे को सीमित करता है। अंतिम सत्र के बाद की अवधि में, सरकार ने 11 अध्यादेश जारी किये हैं। इनमें से पाँच COVID-19 संकट और लॉकडाउन से संबंधित हैं: कर देने की की तारीखों का आगे बढ़ाने, नए दिवालिया मामलों पर स्थगन, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिये सुरक्षा, संसद सदस्यों एवं मंत्रियों के वेतन और भत्तों में अस्थायी कटौती। अन्य छह में से, दो होम्योपैथी और चिकित्सा की भारतीय प्रणालियों को विनियमित करने वाली परिषदों के बोर्डों के अधिपत्य से संबंधित हैं, एक भारतीय रिज़र्व बैंक को सहकारी बैंकों को विनियमित करने की अनुमति देता है (एक समान विधेयक संसद में लंबित है), और तीन कृषि बाज़ारों से संबंधित हैं (अनुबंध खेती और मंडियों के बाहर व्यापार की अनुमति)। हालाँकि COVID-19 से संबंधित अध्यादेशों का एक अस्थायी अनुप्रयोग है, संसद को विस्तृत जाँच के लिये संबंधित समितियों को दीर्घकालिक निहितार्थ वाले (जैसे कि कृषि एवं बैंकिंग से संबंधित) मुद्दों को संदर्भित करना चाहिये।[2]

पिछले छह महीनों में कई आयोजन हुए हैं, जिन पर गहन चर्चा की आवश्यकता है। इसमें कोरोना वायरस के प्रसार से निपटने और मृत्यु दर को सीमित करने के तरीके शामिल हैं और आने वाले महीनों में संभावित मार्ग जो विशेष कार्रवाई को निर्देशित कर सकते हैं। आर्थिक वृद्धि, जो पिछले दो वर्षों से घट रही है, इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में इसमें भारी गिरावट आई है। इससे रोज़गार सृजन, बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता और सरकारी वित्त के लिये दूरगामी प्रभाव पड़े हैं। सरकार के अनुपूरक बजट लाने की संभावना है; वास्तव में, जनवरी से बुनियादी पूर्वानुमानों में परिवर्तनों को देखते हुए केंद्रीय बजट पर एक नई दृष्टि डालने की आवश्यकता है। चीन सीमा पर स्थिति की भी चर्चा किये जाने की भी आवश्यकता है।

प्रश्न काल की अनुपस्थिति और एक लघु शून्य काल संसद सदस्यों को सरकार की जवाबदेही रखने और सार्वजनिक हित का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता को प्रतिबंधित करता है। संसद के सदस्यों को अन्य उपलब्ध विकल्पों का उपयोग यह सुनिश्चित करना चाहिये कि नए कानूनों और व्यय प्रस्तावों को विस्तृत चर्चा के बाद ही पारित किया जाए। सांसदों का कर्तव्य है कि वे भारतीय नागरिकों के प्रति सरकार के काम की जाँच करने और नीति का मार्गदर्शन करने में अपनी भूमिका को पूर्ण करें। कोरोना वायरस की वजह से लघु सत्र एवं बाधाओं के बावज़ूद, उन्हें ऐसा करने के लिये सीमित समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना चाहिये। उन्हें हमारे लोकतंत्र में अपनी सही भूमिका वापस लाने की आवश्यकता है।

भारत जैसे बड़े और भारी जनसंख्या वाले देश में चुनाव कराना एक बहुत बड़ा काम है। संसद के दोनों सदनों- लोकसभा और

राज्यसभा- के लिए चुनाव बेरोकटोक और निष्पक्ष हों, इसके लिए एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग बनाया गया है। लोक सभा के लिए सामान्य चुनाव जब उसकी कार्यवधि समाप्त होने वाली हो या उसके भंग किए जाने पर कराए जाते हैं। भारत का प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष का या उससे अधिक हो मतदान का अधिकारी है।

राज्यसभा के सदस्य राज्यों के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका चुनाव राज्य की विधान सभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा होता है। राज्यसभा में स्थान भरने के लिए राष्ट्रपति, चुनाव आयोग द्वारा सुझाई गई तारीख को, अधिसूचना जारी करता है। जिस तिथि को सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों की पदावधि समाप्त होनी हो उससे तीन मास से अधिक समय से पूर्व ऐसी अधिसूचना जारी नहीं की जाती। चुनाव अधिकारी, चुनाव आयोग के अनुमोदन से मतदान का स्थान निर्धारित और अधिसूचित करता है।

नयी लोक सभा के चुनाव के लिए राष्ट्रपति, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा सुझाई गई तिथि को, सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से सदस्य चुनने के लिए कहता है। अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात चुनाव आयोग नामांकन पत्र दायर करने, उनकी छानबीन करने, उन्हें वापस लेने और मतदान के लिए तिथियां निर्धारित करता है। लोक सभा के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होने के कारण भारत के राज्य क्षेत्र को उपयुक्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य को चुना जाता है।

परिणाम

कानून बनाना संसद का प्रमुख काम माना जाता है। इसके लिए पहल अधिकांशतः कार्यपालिका द्वारा की जाती है। सरकार विधायी प्रस्ताव पेश करती है। उस पर चर्चा तथा वाद विवाद के पश्चात संसद उस पर अनुमोदन की अपनी मुहर लगाती है। सभी कानूनी प्रस्ताव विधेयक के रूप में संसद में पेश किए जाते हैं। विधेयक विधायी प्रस्ताव का मसौदा होता है। विधेयक संसद के किसी एक सदन में सरकार द्वारा या किसी गैर-सरकारी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। इस प्रकार मोटे तौर पर, विधेयक दो प्रकार के होते हैं: (क) सरकारी विधेयक और (ख) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक। विधि का रूप लेने वाले अधिकांश विधेयक सरकारी विधेयक होते हैं। वैसे तो गैर सरकारी सदस्यों के बहुत कम विधेयक विधि का रूप लेते हैं। फिर भी उनके द्वारा यह बात सरकार और लोगों के ध्यान में लाई जाती है कि मौजूदा कानून में संशोधन करने या कोई आवश्यक विधान बनाने की आवश्यकता है।[3]

विधेयक का मसौदा उस विषय से संबंधित सरकार के मंत्रालय में विधि मंत्रालय की सहायता से तैयार किया जाता है। मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बाद इसे संसद के सामने लाया जाता है। संबंधित मंत्री द्वारा उसे संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। केवल धन विधेयक के मामले में यह पाबंदी है कि वह राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। अधिनियम का रूप लेने से पूर्व विधेयक को संसद में विभिन्न अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। प्रत्येक विधेयक के प्रत्येक सदन में तीन वचन होते हैं। अर्थात पहला वाचन, दूसरा वाचन और तीसरा वाचन। विधेयक 'पेश करना,' विधेयक का पहला वाचन है। प्रथा के अनुसार इस अवस्था में चर्चा नहीं की जाती है। विधेयक का दूसरा वाचन सबसे अधिक विस्तृत एवं महत्वपूर्ण अवस्था है क्योंकि इसी अवस्था में इसकी विस्तृत एवं बारीकी से जांच की जाती है। जब विधेयक के सभी खंडो पर और अनुसूचियों पर, यदि कोई हों, सदन विचार कर उन्हें स्वीकृत कर लेता है। तब मंत्री यह प्रस्ताव कर सकता है कि विधेयक को पास किया जाए। यह तीसरा वाचन कहलाता है। जिस सदन में विधेयक पेश किया गया हो उसमें पास किए जाने के बाद उसे सहमति के लिए दूसरे सदन में भेजा जाता है। वहाँ विधेयक फिर इन तीनों अवस्थाओं में से गुजरता है।

किसी विधेयक पर दोनों के बीच असहमति के कारण गतिरोध होने पर एक असाधारण स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जिसका समाधान दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में होता है। जब दोनों सदनों द्वारा कोई विधेयक अलग अलग या संयुक्त बैठक में पास कर दिया जाता है तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। यदि राष्ट्रपति अनुमति प्रदान कर देता है तो अनुमति की तिथि से विधेयक अधिनियम बन जाता है। संशोधन के द्वारा संविधान के किसी भी अनुच्छेद में बदलाव लाया जा सकता है। किंतु उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार संविधान के मूल ढांचे या मूल तत्वों को नष्ट या न्यून करने वाला कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

बजट पास करने की प्रक्रिया बजट पेश किए जाने से इस पर चर्चा करने और अनुदानों की मांगे स्वीकृत करने और विनियोग तथा वित्त विधेयकों के पास होने तक सामान्यतः चालू वित्तीय वर्ष के आरंभ होने के बाद तक चलती रहती है। जब तक संसद, मांगें स्वीकृत नहीं कर लेती तब तक के लिए यह आवश्यक है कि देश का प्रशासन चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त धन उपलब्ध हो। इसलिए 'लेखानुदान' के लिए विशेष उपबंध किया गया है। जिसके द्वारा लोकसभा को शक्ति दी गई है कि वह बजट की प्रक्रिया पूरी होने तक किसी वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए पेशगी अनुदान दे सकती है।

सरकार को शासन, सुरक्षा और जन कल्याण के बहुत से काम करने होते हैं। इन सबके लिए बहुत साधन चाहिए। ये आएं कहाँ से? सरकार जनता से कर वसूलती है। जरूरत पड़ने पर कर्जे भी लेती है। क्योंकि हम संसदीय व्यवस्था में रहते हैं, सरकार के लिए यह जरूरी है कि कोई भी कर लगाने या कोई भी खर्चा करने से पहले वह संसद की मंजूरी ले। इस मंजूरी को लेने के लिए ही हर वर्ष सरकार एक बजट यानी पूरे साल की आमदनी और खर्चे का लेखा जोखा संसद में पेश करती है।

रेल बजट और सामान्य बजट अलग अलग पेश किए जाते हैं। सामान्य बजट प्रायः फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर लाया जाता है। रेल बजट उससे कुछ दिन पहले आ जाता है। वित्तीय वर्ष इस समय प्रत्येक साल की पहली अप्रैल से आरंभ होता है। बजट में इस आशय का प्रस्ताव होता है कि आने वाले साल के दौरान किस मद पर कितना धन खर्च किया जाना है। उसमें कितना धन किस तरीके से आएगा या कहाँ से जुटाया जाएगा। बजट के आगामी वर्ष के लिए अनुदान दिए जाते हैं। सरकार को अपनी वित्तीय और आर्थिक नीतियों तथा कार्यक्रमों और उनकी व्याख्या करने का अवसर मिलता है। साथ ही, संसद को उन पर विचार करने और उनकी आलोचना करने का भी अवसर मिलता है।[4]

बजट पास करने की प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों में गंभीर एवं पूर्ण चर्चा होती है। यह बजट पेश किए जाने के कुछ दिन बाद होती है। चर्चा सामान्य वाद विवाद से आरंभ होती है। यह संसद के दोनों सदनों में तीन या चार दिन तक चलती है। प्रथा यह है कि इस अवस्था में सदस्य सरकार की राजकोषीय और आर्थिक नीतियों के सामान्य पहलुओं पर ही विचार करते हैं। कर लगाने तथा खर्च के ब्यौरे में नहीं जाते। इस प्रकार सामान्य वाद विवाद से प्रत्येक सदन को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता है। सरकार को भी आभास हो जाता है कि किसी प्रस्ताव विशेष के प्रति बाद की अवस्थाओं में क्या प्रतिक्रिया होगी। यह ध्यान देने की बात है कि राज्यसभा को सामान्य चर्चा के अलावा बजट से कोई सरोकार नहीं होता। मांगों पर मतदान केवल लोक सभा में होता है। दूसरी अवस्था अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान की है। सामान्यतः प्रत्येक मंत्रालय के लिए प्रस्तावित अनुदानों के लिए अलग मांगे रखी जाती हैं। इन 'मांगो' का संबंध बजट के व्यय वाले भाग से होता है। इनका स्वरूप कार्यपालिका द्वारा लोक सभा के लिए किए गए निवेदन का है कि मांगी गई राशि को खर्च करने का अधिकार दिया जाए।

मांगो पर चर्चा रूचिपूर्ण होती है। चर्चा के दौरान मंत्रालय की नीतियों और क्रियाकलापों की बारीकी से छानबीन की जाती है। अनुदानों की मांगों के मूल प्रस्ताव के सहायक प्रस्ताव पेश करके सदस्य ऐसा कर सकते हैं। इन सहायक प्रस्तावों को संसदीय भाषा में 'कटौती प्रस्ताव' कहा जाता है।

संसद के कार्यों का उल्लेख भारतीय संविधान में भाग V के अध्याय II में किया गया है. संसद के कार्यों को कई हैडिंग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है. उनकी चर्चा नीचे की गई है:

Legislative Functions विधायी कार्य

- संसद संघ सूची और समवर्ती सूची में उल्लिखित सभी मामलों पर कानून बनाती है.
- समवर्ती सूची के मामले में, जहां राज्य विधायिकाओं और संसद का संयुक्त अधिकार क्षेत्र है, कानून राज्यों पर तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि राज्य के कानून को पहले राष्ट्रपति की सहमति नहीं मिली हो. हालाँकि, संसद किसी भी समय, राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को जोड़ने, संशोधित करने, बदलने या निरस्त करने के लिए एक कानून बना सकती है.
- संसद निम्नलिखित परिस्थितियों में राज्य सूची की मदों पर कानून भी पारित कर सकती है:
- यदि आपातकाल लागू है, या किसी राज्य को राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) के तहत रखा गया है, तो संसद राज्य सूची की वस्तुओं पर भी कानून बना सकती है.
- अनुच्छेद 249 के अनुसार, संसद राज्य सूची की वस्तुओं पर कानून बना सकती है यदि राज्य सभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करती है, कि संसद के लिए राज्य में सूचीबद्ध किसी भी वस्तु पर राष्ट्रहित में कानून बनाना आवश्यक है.
- अनुच्छेद 253 के अनुसार, यह राज्य सूची की वस्तुओं पर कानून पारित कर सकता है यदि यह अंतर्राष्ट्रीय समझौतों या विदेशी शक्तियों के साथ संधियों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है.
- अनुच्छेद 252 के अनुसार, यदि दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमंडल इस आशय का प्रस्ताव पारित करते हैं कि राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी मद पर संसदीय कानून होना

वांछनीय है, तो संसद उन राज्यों के लिए कानून बना सकती है.

सरकार के संसदीय स्वरूप में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है. इसलिए, संसद कई उपायों द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है.

- अविश्वास प्रस्ताव द्वारा संसद मंत्रिमंडल (कार्यकारी) को सत्ता से हटा सकती है. यह किसी बजट प्रस्ताव या कैबिनेट द्वारा लाए गए किसी अन्य विधेयक को अस्वीकार कर सकता है. सरकार को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है.
- सांसद (संसद सदस्य) मंत्रियों से उनकी चूक और कमीशन पर सवाल पूछ सकते हैं. सरकार की ओर से किसी भी चूक को संसद में उजागर किया जा सकता है.[5]
- स्थगन प्रस्ताव: केवल लोकसभा में स्वीकृत, स्थगन प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य तत्काल जनहित के किसी भी हालिया मुद्दे पर संसद का ध्यान आकर्षित करना है. संसद में इसे एक असाधारण उपकरण माना जाता है क्योंकि सामान्य कामकाज प्रभावित होता है. संसद मंत्रिस्तरीय आश्वासनों पर एक समिति नियुक्त करती है जो यह देखती है कि मंत्रियों द्वारा संसद से किए गए वादे पूरे होते हैं या नहीं.
- निंदा प्रस्ताव: सरकार की किसी भी नीति को दृढ़ता से अस्वीकार करने के लिए सदन में विपक्षी दल के सदस्यों द्वारा एक निंदा प्रस्ताव पेश किया जाता है. इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है. निंदा प्रस्ताव पारित होने के तुरंत बाद, सरकार को सदन का विश्वास प्राप्त करना होता है. अविश्वास प्रस्ताव के मामले के विपरीत, निंदा प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है.
- कट मोशन: सरकार द्वारा लाए गए वित्तीय बिल में किसी भी मांग का विरोध करने के लिए कट मोशन का उपयोग किया जाता है.

जब वित्त की बात आती है तो संसद अंतिम अधिकार रखती है. कार्यपालिका संसदीय अनुमोदन के बिना एक पाई भी खर्च नहीं कर सकती है. कैबिनेट द्वारा तैयार केंद्रीय बजट संसद द्वारा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है. कर लगाने के सभी प्रस्तावों को भी संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए. संसद की दो स्थायी समितियाँ (लोक लेखा समिति और अनुमान समिति) हैं जो इस बात पर नज़र रखती हैं कि कार्यपालिका विधायिका द्वारा उसे दिए गए धन को कैसे खर्च करती है. आप संसदीय समितियों के बारे में भी पढ़ सकते हैं.

संसद को भारत के संविधान में संशोधन करने का अधिकार है. जहां तक संविधान में संशोधन का संबंध है, संसद के दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त हैं. संशोधनों को प्रभावी होने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित करना होगा.संसद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है. राष्ट्रपति का

चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल में अन्य के अलावा, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं. राष्ट्रपति को लोक सभा द्वारा सहमत राज्य सभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है. सदन के सदस्यों द्वारा विशेषाधिकार के उल्लंघन के मामले में, संसद के पास उन्हें दंडित करने की दंडात्मक शक्तियाँ हैं. विशेषाधिकार का उल्लंघन तब होता है जब सांसदों द्वारा प्राप्त किसी भी विशेषाधिकार का उल्लंघन होता है.एक सदस्य द्वारा एक विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया जाता है जब उसे लगता है कि किसी मंत्री या किसी सदस्य ने किसी मामले के तथ्यों को रोककर या गलत या विकृत तथ्य देकर सदन या उसके एक या अधिक सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है.संसदीय प्रणाली में, विधायी विशेषाधिकार न्यायिक नियंत्रण से अलग है.अपने सदस्यों को दंडित करने की संसद की शक्ति भी आमतौर पर न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं होती है.संसद के अन्य न्यायिक कार्यों में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्च न्यायालयों, महालेखा परीक्षक आदि पर महाभियोग चलाने की शक्ति शामिल है.[6]

- संसद में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा की जाती है. विपक्ष इस संबंध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह सुनिश्चित करता है कि देश वैकल्पिक दृष्टिकोणों से अवगत हो.
- संसद को कभी-कभी 'नेशन इन मिनियेचर' कहा जाता है.
- लोकतंत्र में, संसद कानून या प्रस्ताव पारित होने से पहले महत्वपूर्ण मामलों पर विचार-विमर्श करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है.
- संसद के पास राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाओं को बदलने, घटाने या बढ़ाने की शक्ति है.
- संसद सूचना के अंग के रूप में भी कार्य करती है. सदस्यों द्वारा मांगे जाने पर मंत्री सदनों में सूचना प्रदान करने के लिए बाध्य होते हैं

निष्कर्ष

संसद की इमारतों में संसद भवन, संसदीय सौध, स्वागत कार्यालय और निर्माणाधीन संसदीय ज्ञानपीठ अथवा संसद ग्रंथालय सम्मिलित है। इन सभी को मिलाकर संसद परिसर कहा जाता है इसमें लंबे-चौड़े लान, जलाशय, फव्वारे और सड़कें बनी हुई हैं। यह सारा परिसर सजावटी लाल पत्थर की दीवारों तथा लोहे के जंगलों और लोहे के ही विशाल दरवाजों से घिरा हुआ है।

संसद भवन का निर्माण १९२१-१९२७ के दौरान किया गया था। संसद भवन नई दिल्ली की बहुत ही शानदार भवनों में से एक है। यह विश्व के किसी भी देश में विद्यमान वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। इसकी तुलना विश्व के सर्वोत्तम विधान-भवनों के साथ की जा सकती है। यह एक विशाल वृत्ताकार भवन है। जिसका व्यास ५६० फुट तथा जिसका घेरा ५३३ मीटर है। यह लगभग छह एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। भवन के १२ दरवाजे हैं, जिनमें से पाँच के सामने द्वार मंडप बने हुए हैं। पहली मंजिल पर खुला बरामदा हल्के पीले रंग के १४४ चित्ताकर्षक खंभों की कतार से सुसज्जित हैं। जिनकी प्रत्येक की ऊँचाई २७ फुट है।

दोनों सदनों के सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते, जिन्हें संसद समय समय पर, विधि द्वारा तय करे, पाने के हकदार है। संसद ने संसद सदस्य (वेतन, भत्ते और पेंशन) अधिनियम के अधीन सदस्यों को पेंशन दिए जाने की स्वीकृति दी है। चार वर्ष के सेवाकाल वाले प्रत्येक सदस्य तो एक हजार चार सौ रूपये प्रति मास की पेंशन दी जाती है। इसके अतिरिक्त पाँच वर्ष के बाद की सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 250 रूपये और दिए जाते हैं। प्रत्येक सदस्य 1500 रूपये प्रतिमास का वेतन तथा ऐसे स्थान पर, जहाँ संसद के किसी सदन का अधिवेशन या समिति की बैठक हो, ड्यूटी पर निवास के दौरान 200 रूपये प्रतिदिन का भत्ता प्राप्त करने का हकदार है। मासिक वेतन तथा दैनिक भत्ते के अलावा प्रत्येक सदस्य 3000 रूपये मासिक का निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और 1000 रूपये प्रतिमास की दर से कार्यालय व्यय प्राप्त करने का हकदार है।[5]

प्रत्येक सदस्य विभिन्न यात्रा –भत्ते पाने का हकदार है जिनमें: रेल द्वारा यात्रा के लिए: एक प्रथम श्रेणी के तथा एक द्वितीय श्रेणी के किराए के बराबर रकम। विमान द्वारा यात्रा के लिए: प्रत्येक ऐसी यात्रा के लिए विमान किराए के सवा गुना के बराबर रकम। सड़क द्वारा यात्रा के लिए: पाँच रूपये प्रति किलोमीटर तथा स्टीमर द्वारा यात्रा के लिए उच्चतम श्रेणी के किराए के अतिरिक्त उसका 3/5 भाग। इसके अलावा, प्रत्येक सदस्य को प्रतिवर्ष देश के अंदर कहीं भी अपनी पत्नी/अपने पति या सहचर के साथ 28 एक तरफा विमान यात्राएं करने की छूट होती है। प्रत्येक सदस्य को देश के अंदर कहीं भी, कितनी भी बार, वातानुकूलित श्रेणी में यात्रा के लिए स्वयं तथा सहचर के लिए एक रेलवे पास भी मिलता है। पत्नी/पति के लिए एक अलग से पास भी मिल सकता है। इसके अलावा, प्रत्येक सदस्य निशुल्क टेलीफोन; एक दिल्ली में तथा दूसरा अपने निवास स्थान पर लगवानें का हकदार है। इसके अलावा, उसे प्रतिवर्ष निशुल्क 50,000 स्थानीय काल करने की छूट होती है। साथ ही प्रत्येक सदस्य को दिल्ली में मकान दिया जाता है। फ्लैटों के लिए कोई शुल्क नहीं है। जबकि बंगलों के लिए नाममात्र लाईसेंस शुल्क लगाया जाता है। कतिपय सीमाओं में बिजली तथा पानी निःशुल्क होते हैं। प्रत्येक सदस्य को उसके कार्यकाल के दौरान वाहन खरीदने के लिए अग्रिम-राशि दी जाती है।

सदस्यों को जो अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं उनमें आशुलिपिक तथा टंकण पूल, आयकर में राहत, कैंटीन, जलपान और खानपान, क्लब, कामन रूम, बैंक, डाकघर, रेलवे तथा हवाई बुकिंग तथा आरक्षण, बस परिवहन, एल पी जी सेवा, विदेशी मुद्रा का कोटा, लॉकर, सुपर बाजार आदि शामिल है। संसद परिसर में एकमात्र सदस्यों के लिए एक सुसज्जित प्राथमिक चिकित्सा अस्पताल भी है।

संसदीय विशेषाधिकार वे विशिष्ट अधिकार हैं जो संसद के दोनों सदनों को, उसके सदस्यों को और समितियों को प्राप्त है। विशेषाधिकार इस दृष्टि से दिए जाते हैं कि संसद के दोनों सदन, उसकी समितियां और सदस्य स्वतंत्र रूप से काम कर सकें। उनकी गरिमा बनी रहे, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि कानून की नजरों में साधारण नागरिकों के मुकाबले में विशेषाधिकार प्राप्त सदस्यों की स्थिति भिन्न है। जहाँ तक विधियों के लागू होने का संबंध है, सदस्य लोगों के प्रतिनिधि होने के साथ साथ साधारण नागरिक भी होते हैं। मूल विधि यह है कि संसद सदस्यों सहित सभी नागरिक कानून की नजरों में बराबर माने जाने

चाहिए। जो दायित्व अन्य नागरिकों के हों, वही उनके भी होते हैं और शायद सदस्य होने के नाते कुछ अधिक होते हैं।

संसदों का सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार है सदन और उसकी समितियों में पूरी स्वतंत्रता के साथ अपने विचार रखने की छूट। संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। संसदीय विशेषाधिकारों की सूचियां तैयार की जा सकती हैं। वास्तव में ये तैयार भी की गईं हैं परंतु ऐसी कोई भी सूची पूरी नहीं है। थोड़े में कह सकते हैं कि कोई भी वह काम जो सदन के, उसकी समितियों के या उसके सदस्यों के काम में किसी प्रकार की बाधा डाले वह संसदीय विशेषाधिकार का हनन करता है। उदाहरण के लिए, कोई सदस्य न केवल उस समय गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जबकि उस सदन का, जिसका कि वह सदस्य हो, अधिवेशन चल रहा हो या जबकि उस संसदीय समिति की, जिसका वह सदस्य हो, बैठक चल रही हो, या जबकि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक चल रही हो, या जबकि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक चल रही हो। संसद के अधिवेशन के प्रारंभ से 40 दिन पहले और उसकी समाप्ति से 40 दिन बाद या जबकि वह सदन को आ रहा हो या सदन के बाहर जा रहा हो, तब भी उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।[4,5]

संसद के परिसरों के भीतर, सभापति की अनुमति के बिना, दीवानी या आपराधिक कोई कानूनी 'समन' नहीं दिए जा सकते हैं। अध्यक्ष/सभापति की अनुमति के बिना संसद भवन के अंदर किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि संसद के परिसरों में केवल संसद के सदन के या अध्यक्ष/सभापति के आदेशों का पालन होता है। यहाँ अन्य किसी सरकारी प्राधिकारी के या स्थानीय प्रशासन के आदेश का पालन नहीं होता। संसद का प्रत्येक सदन अपने विशेषाधिकार का स्वयं ही रक्षक होता है। विशेषाधिकार भंग करने या सदन की अवमानना करने वाले को भर्त्सना करके या ताड़ना करके या निर्धारित अवधि के लिए कारावास द्वारा दंडित कर सकता है। स्वयं अपने सदस्यों के मामले में सदन अन्य दो प्रकार के दंड दे सकता है, अर्थात सदन की सेवा से निलंबित करना और निकाल देना, किसी सदस्य को एक निर्धारित अवधि के लिए सदन की सेवा से निलंबित किया जा सकता है। किसी अति गंभीर मामले में सदन से निकाला जा सकता है। सदन अपराधियों को ऐसी अवधि के लिए कारावास का दंड दे सकता है जो साधारणतः सदन के अधिवेशन की अवधि से अधिक नहीं होती। जैसे ही सदन का सत्रावसान होता है, बंदी को मुक्त कर दिया जाता है। दर्शकों द्वारा गैलरी में नारे लगाकर और/अथवा इश्तिहार फेंककर सदन की अवमानना करने के कारण, दोनों सदनों ने, समय समय पर, अपराधियों को सदन के उस दिन स्थगित होने तक कारावास का दंड दिया है।

सदन का दांडिक क्षेत्र अपने सदनों तक और उनके सामने किए गए अपराधों तक ही सीमित न होकर सदन की सभी अवमाननाओं पर लागू होता है। चाहे अवमानना सदस्यों द्वारा की गई हो या ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो सदस्य न हों। इससे भी कोई अंतर नहीं पड़ता कि अपराध सदन के भीतर किया गया है या उसके परिसर से बाहर। सदन का विशेषाधिकार भंग करने या उसकी अवमानना करने के कारण व्यक्तियों को दंड देने की सदन की यह शक्ति संसदीय विशेषाधिकार की नींव है। सदन की ऐसी परंपरा भी रही है कि सदन का विशेषाधिकार भंग करने या सदन की अवमानना करने के दोषी व्यक्तियों द्वारा स्पष्ट रूप से और बिना किसी शर्त के दिल से व्यक्त किया गया खेद सदन द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। ऐसे में साधारणतः सदन अपनी गरिमा को देखते हुए ऐसे मामलों पर आगे कार्यवाही न करने का फैसला करता है।[6]

संदर्भ

[1] "Live: Ram Nath Kovind becomes the 14th President of India". The Hindu. New Delhi, India. 25 July 2017. मूल से 25 July 2017 को पुरालेखित.

[2] "Venkaiah Naidu sworn in as Vice-President". The Hindu. New Delhi, India. 11 August 2017. मूल से 9 February 2014 को पुरालेखित.

[3] "Harivansh Narayan Singh re-elected Rajya Sabha deputy chairman | India News - Times of India". The Times of India (अंग्रेज़ी में). 14 September 2020. अभिगमन तिथि 14 September 2020.

[4] "Minister Piyush Goyal To Be Leader of House in Rajya Sabha". NDTV. अभिगमन तिथि 14 July 2021.

[5] "Om Birla unanimously elected Lok Sabha Speaker, PM Modi heaps praises on BJP colleague". India Today (अंग्रेज़ी में). 19 June 2019. अभिगमन तिथि 19 June 2019.

[6] "Narendra Modi is sworn in as the 15th Prime Minister of India". The Times of India. 26 May 2014. मूल से 6 September 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 15 August 2014.